



Neutral Citation No. - 2026:AHC:30052

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 2043/2026

निशांत कुशिक

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शैलजा कांत त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. त्रिपाठी और प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता स्वयं को प्रतिवादी संख्या 6 का पति बताता है और उसने दिनांक 05.12.2025 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 का तबादला आगरा से मुरादाबाद कर दिया गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 6, जो उनकी पत्नी हैं, ने धोखाधड़ी की है और वैवाहिक विवाद लंबित होने के बावजूद पति-पत्नी के आधार पर तबादला प्राप्त किया है।
4. न्यायालय की राय में, वैवाहिक कलह से उत्पन्न ऐसे विवादों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में नहीं उठाया जाना चाहिए। यदि तबादला आदेश प्राप्त करने में कोई धोखाधड़ी की गई है, तो याचिकाकर्ता के लिए यह सर्वथा खुला है कि वह संबंधित सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करे और प्रासंगिक तथ्यों को उसके समक्ष रखे।
5. तदनुसार, रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है और इसे एतद्वारा खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

11 फरवरी, 2026

सुषमा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"